BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 फरवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रविन्द्र सिंह पुत्र रामनिवासी 2. सचिन पुत्र लक्ष्मण 3. ईश्वर सिंह पुत्र निरंजन 4. अनुज कुमार पुत्र महावीर निवासीगण मौ0 पट्टी डहर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2014 में वादी कलुआ पुत्र हरशरन निवासी मौ0 पट्टी डहर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के साथ गाली गलौच कर मारपीट एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 26.08.2014 को थाना स्याना पर मुअसं– 227/2014 धारा 323/34/504 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.09.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.02.2025 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश वर्मा (मा0 न्यायालय स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रविन्द्र, सचिन, ईश्वर सिंह व अनुज उपरोक्त को 04-04 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव एवं श्री रश्मि सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।